

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

प्र०-6 / ल०ज०सं०(स्था०)-43 / 2025 5110

/ पटना, दिनांक:- 05/08/26

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के हाइड्रोलॉजिस्ट (Hydrologist), हाइड्रो जियोलॉजिस्ट (Hydro Geologist) एवं जियोफिजिसिस्ट (Geophysicist) संवर्ग का गठन, भर्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । -

1. यह नियमावली "लघु जल संसाधन विभाग हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रो जियोलॉजिस्ट एवं जियोफिजिसिस्ट संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2026" कही जा सकेगी ।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
3. यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषा । -

इस नियमावली में जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

- i. "विभाग" से अभिप्रेत है लघु जल संसाधन विभाग ।
- ii. "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ।
- iii. "संवर्ग" से अभिप्रेत है लघु जल संसाधन विभाग का हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रो जियोलॉजिस्ट एवं जियोफिजिसिस्ट संवर्ग ।
- iv. "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग अथवा विभाग द्वारा प्राधिकृत मुख्य अभियंता से अन्यून कोई पदाधिकारी ।

- v. "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग अथवा कोई अन्य आयोग जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

3. संवर्ग की संरचना । -

- i. लघु जल संसाधन विभाग के हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रो जियोलॉजिस्ट एवं जियोफिजिसिस्ट संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद क्रमशः "हाइड्रोलॉजिस्ट", "हाइड्रो जियोलॉजिस्ट" एवं "जियोफिजिसिस्ट" होगा जो अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। इस संवर्ग में प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा।
- ii. इस पद के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथा निर्धारित वेतन स्तर/वेतनमान देय होगा।
- iii. इस संवर्ग का स्वीकृत बल राज्य सरकार के द्वारा विनिश्चित किया जा सकेगा।

4. नियुक्ति की प्रक्रिया । -

- (क) हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रो जियोलॉजिस्ट एवं जियोफिजिसिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति होगी। हाइड्रोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जियोलॉजी (Geology), हाइड्रोलॉजी (Hydrology) अथवा सिविल इंजीनियरिंग (Civil Engineering) में स्नातक होगी।

हाइड्रो जियोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जियोलॉजी (Geology), अप्लाइड जियोलॉजी (Applied Geology) या हाइड्रो जियोलॉजी (Hydro Geology) में स्नातक अथवा अन्य समकक्ष डिग्री होगी।

जियोफिजिसिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जियोफिजिक्स (Geophysics), एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स (Exploration Geophysics), अप्लाइड जियोफिजिक्स (Applied Geophysics), जियो एक्सप्लोरेशन (Geo Exploration), फिजिक्स (Physics), अप्लाइड फिजिक्स (Applied Physics), जियोलॉजी (Geology) या अप्लाइड जियोलॉजी (Applied Geology) में स्नातक होगी।

साथ ही केन्द्रीय/राज्य सरकार अथवा उसके नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम में 03 वर्षों का न्यूनतम कार्यानुभव आवश्यक होगा। कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र संबंधित सरकारी संस्थान/उपक्रम के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

- (ख) नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 24 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा वही रहेगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण कोटिवार निर्धारित की जाती है।
- (ग) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल के आधार पर वास्तविक रिक्तियों की गणना कर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को उपलब्ध करायेंगे।
- (घ) आयोग अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा तथा अपनी अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अर्हता प्राप्तांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा।

5. परिवीक्षा । -

आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक योगदान की तिथि से 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि के दौरान में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

6. प्रशिक्षण । -

- i.** संवर्ग के नवनियुक्त सदस्यों को परिवीक्षा अवधि में यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- ii.** प्रशिक्षण अवधि के दौरान संबंधित सरकारी सेवक को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

7. विभागीय परीक्षा एवं संपुष्टि । -

- i.** इस संवर्ग के मूल कोटि के पद पर नियुक्त सरकारी सेवक को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद द्वारा संबंधित विभाग के परामर्श से किया जायेगा। विभागीय परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित किसी अन्य संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- ii.** विभागीय परीक्षा में असफल होने की स्थिति में प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् आगे की वेतनवृद्धियाँ जबतक उम्मीदवार उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक रुकी रहेंगी।
- iii.** परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने, प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूरा करने, विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करने तथा सेवा संपुष्टि हेतु निर्धारित अन्य अर्हताओं को पूरा करने के उपरान्त सेवा संपुष्टि की जा सकेगी।

8. वरीयता । -

संवर्ग के सदस्यों की वरीयता आयोग द्वारा अवधारित उनकी मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

9. आरक्षण । -

राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के संदर्भ में समय-समय पर यथा निर्धारित आरक्षण रॉस्टर से संबंधित प्रावधान इस संवर्ग में नियुक्ति पर भी लागू होंगे।

10. पदस्थापन । -

- i. इस संवर्ग के कर्मियों का पदस्थापन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा।
- ii. संवर्ग के कर्मियों/अधिकारियों का स्थानांतरण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा।

11. शिथिलीकरण की शक्ति । -

जहाँ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से व्यक्ति या पद के किसी वर्ग या कोटि के संबंध में इस नियमावली के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा।

12. अवशिष्ट मामले । -

इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं किया जा सका है, उनके संदर्भ में राज्य सरकार के प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

13. कठिनाई का निराकरण । -

विभाग समय-समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा, जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

14. निर्वचन । -

जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ विभाग द्वारा विधि विभाग अथवा सामान्य प्रशासन विभाग, जैसा आवश्यक हो, के परामर्श से विनिश्चय किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति । -

- (i) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित समझी जायेगी।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(बी० कार्तिकेय धनजी)

सचिव

लघु जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक:—सं०सं०—प्र०—६ / ल०ज०सं०(स्था०)—४३ / २०२५ ५११० / पटना, दिनांक:— ०५/०८/२६

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी० के साथ) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(बी० कार्तिकेय धनजी)

सचिव

लघु जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक:—सं०सं०—प्र०—६ / ल०ज०सं०(स्था०)—४३ / २०२५ ५११० / पटना, दिनांक:— ०५/०८/२६

प्रतिलिपि:—सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी मुख्य अभियंता एवं परिक्षेत्रीय कार्यालयों/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(बी० कार्तिकेय धनजी)

सचिव

लघु जल संसाधन विभाग।

Government of Bihar
Minor Water Resources Department

Notification

F. No. Sec-6/MWRD(Est.)-43/2025 5110 / Patna, Dated: - 05/08/26

In exercise of the powers conferred under proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulate the formation, recruitment process and other service conditions of Hydrologist, Hydro Geologist and Geophysicist Cadre of the Minor Water Resources Department: -

1. Short Title, Extent, and Commencement.-

- (1) These Rules shall be called the "Minor Water Resources Department Hydrologist, Hydro Geologist and Geophysicist Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2026."
- (2) It extends to the whole State of Bihar.
- (3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions. -

In these Rules, unless the context otherwise requires—

- (i) "Department" means the Minor Water Resources Department.
- (ii) "Government" means the State Government of Bihar.
- (iii) "Cadre" means the Hydrologist, Hydro Geologist and Geophysicist Cadre of the Minor Water Resources Department.
- (iv) "Appointing Authority" means the Engineer-in-Chief, Minor Water Resources Department or any officer not below the rank of Chief Engineer authorized by the Department.
- (v) "Commission" means the Bihar Technical Service Commission or any other Commission as may be notified by the State Government.

4/8/26 2/8/26

3. Structure of the Cadre. -

- (i) Post of basic grade under the Minor Water Resources Department Hydrologist, Hydro Geologist and Geophysicist Cadre will be respectively "Hydrologist", "Hydro Geologist" and "Geophysicist" which will be under administrative control of the Engineer-in-Chief, Minor Water Resources Department, Patna. There will be no entry into this Cadre through promotion.
- (ii) The post will carry the pay level/pay scale as determined by the Government from time to time.
- (iii) The sanctioned strength of this Cadre shall be decided by the State Government.

4. Appointment Process .—

- (a) Appointments to the post of Hydrologist, Hydro Geologist and Geophysicist shall be made through direct recruitment. The minimum educational qualification for appointment to the post of Hydrologist shall be a Graduate degree in Geology, Hydrology or Civil Engineering.

The minimum educational qualification for appointment to the post of Hydro Geologist shall be a Graduate degree in Geology, Applied Geology or Hydro Geology or any other equivalent degree .

The minimum educational qualification for appointment to the post of Geophysicist shall be a Graduate degree in Geophysics, Exploration Geophysics, Applied Geophysics, Geo Exploration, Physics, Applied Physics, Geology or Applied Geology.

Additionally a minimum work of 3 years of experience with a Central/State Government or an enterprise under its control is required. The certificate of work experience must be issued by a competent officer of the concerned government institution/ enterprise.

- (b) The minimum age limit for appointment shall be 24 years. The maximum age limit shall be the same as determined by the State Government from time to time according to the reservation category.

437 

- 4
- (c) The Appointing Authority shall calculate the actual vacancies as on 1st April of every year and provide category wise reservation requisition to the Commission.
 - (d) The Commission shall prepare a merit list of candidates based of their performance in the written competitive examination and the minimum qualifying marks scored and shall submit its recommendation to the Appointing Authority. The syllabus and qualifying scores for the written competitive examination shall be determined by the Commission.

5. Probation.—

Government servants appointed through direct recruitment on the basis on the Commission's recommendation shall be on probation for 01 (one) year from the date of joining. If their service is found unsatisfactory during the probation period, it may be extended for further 01 (one) year. If their service remain unsatisfactory even during the extended period, their service may be terminated.

6. Training.—

- (i) Newly appointed members of the cadre shall have to undergo the prescribed induction training during the probation period.
- (ii) During the training period, the concerned government servant shall have to pass the examination as prescribed by the training institute.

7. Departmental Examination and Confirmation.—

- (i) The Government servants appointed to the post in the basic category of this cadre shall have to pass the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar, Patna. The subjects, syllabus, and procedure for the departmental examination shall be determined by the Board of Revenue in consultation with the concerned Department. The departmental examination shall be conducted by the Central Examination Committee, The Board of Revenue or any other institution recommended by the State Government.

(ii) In case of failure in the departmental examination, further increments after the first increment in salary shall be withheld until the candidate passes the said examinations.

(iii) The service shall be confirmed after satisfactory service during completion of probation period, completion of induction training, passing all papers of the departmental examination and fulfillment of other eligibility criteria prescribed for the confirmation of service.

8. Seniority. —

The seniority of members of the cadre shall be in accordance with their merit rank determined by the Commission.

9. Reservation. —

The provisions relating to reservation roster as determined from time to time by the State Government in the respect of appointments shall also be applicable to appointments in this cadre.

10. Posting. —

- (i) Employees belonging to this cadre shall be posted in the regional offices of the Department.
- (ii) Transfer of employees/officers of the cadre may be made by the Appointing Authority.

11. The Power of Relaxation. —

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules in respect of any class or category of person or post.

12. Residue Matters. —

In respect of matters which have not been provided for in these Rules, the provisions of the relevant Codes/Rules/Resolutions/Instructions of the State Government shall be applicable.

13. Removal of Difficulties. —

The Department may issue such general or special directions from time to time which may be necessary for removal of difficulties coming in the implementation of any of provisions of these Rules.

14. Interpretation.—

Where any doubt arises with respect to interpretation of any provisions of these Rules, it shall be decided by the Department in consultation with the Law Department or the General Administration Department, as may be necessary, and its decision shall be final.

15. Repeal and Savings . —

- (i) The resolutions/rules/orders, etc. issued earlier from time to time by the Department in respect to this cadre shall be deemed repealed.
- (ii) Notwithstanding such repeal, any act done or any action taken in exercise of powers conferred under the resolution/rules/orders, etc. issued earlier shall be deemed to be done or taken in exercise of the power conferred by or under these Rules, as if, these Rules were in force on the date on which such act was done or any actions was taken.

By order of the Governor of Bihar,

(B. Kartikey Dhanji)

Secretary

Minor Water Resources Department.

Memo No.:- Sec-6/MWRD(Est.)-43/2025/110/ Patna, Dated:- 05/08/26

Copy to:- The In-charge Officer, E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna (along with a CD) for publication in the Extraordinary Issue of the Bihar Gazette.

(B. Kartikey Dhanji)

Secretary

Minor Water Resources Department.

①

Memo No.:- Sec-6/MWRD(Est.)-43/2025 *5/11/26* Patna, Dated:- *05/08/26*
Copy to:- All Departments / All Departmental Heads/ Secretary,
Bihar Technical Service Commission, Patna/All Divisional
Commissioners / All Chief Engineers and Zonal Offices/ All
District Magistrates for information and necessary action.

05/08/26
(B. Kartikey Dhanji)
Secretary
Minor Water Resources Department.